ग्राम पंचायत भटेहड बूसल, विकास खण्ड कांगड़ा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग–एक

1. (क) प्रस्तावना :–

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत भटेहड बूसल विकास खण्ड कांगड़ा, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे।

प्रधान :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्रीमति रजनी देवी	जनवरी 2011 से लगातार

सचिव :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री सुमन कुमार	अगस्त 2008 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1.	6	निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखना	विवरण पैरे में
2.	8	प्राप्त अनुदानों से अधिक खर्च करना	0.39
3.	8.1	अनुदान राशि का अवरोधन	5.17
4.	9	औपचारिकताओं को बिना पूर्ण किए क्रय करने बारे	0.89
5.	10	क्रय की गई सामग्री की भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टि न करना	0.72

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत भटेहड बूसल, विकास खण्ड कांगड़ा, जिला कांगडा के अवधि 4/2013 से 3/2016 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं, श्री मुकेश कुमार स्नेही, (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनांक 8.8.2016 से 17.8.2016 तक के दौरान पंचायत कार्यालय भटेहड बूसल में किया गया। आय की विस्तृत जांच के लिए क्रमशः माह 3/14, 11/14 व 7/15 तथा व्यय की विस्तृत जांच के लिए 6/13, 8/14 व 7/15 का चयन किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत भटेहड बूसल, विकास खण्ड कांगड़ा, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क ₹5000 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 154, दिनांक 17.8.2016 द्वारा सचिव पंचायत भटेहड बूसल से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत भटेहड बूसल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

(1) स्वः स्त्रोत :–

ग्राम पंचायत भटेहड बूसल के अवधि 4/2013 से 3/2016 स्वयं स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	52419	33505	85924	34382	51542
2014–15	51542	64543	116085	18883	97202
2015–16	97202	52474	149676	34334	115342

(2) अनुदान :–

ग्राम पंचायत भटेहड बूसल के अवधि 4/2013 से 3/2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–'1'** में भी दिया गया है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	577819	2748757	3326576	2982759	343817
2014–15	343817	3350788	3694605	3190004	504601
2015–16	504601	2402053	2906654	2389305	517349

दिनांक 31.3.2016 को बैंक में जमा राशि का विवरणः–

क्र0 सं0	बैंक का नाम	खाता संख्या	जमा राशि
1.	HGB, Baroh	87871700072254	320305
2.	-do-	87871700072236	236
3.	-do-	87871700072218	134093
4.	-do-	87871700072227	37500
5.	-do-	87871700072248	60925
6.	KCCB, Kangra	20033049552	79061
		कुल जोड़	**₹632120**

बैंक समाधान विवरणः–

(क) दिनांक 31.3.2016 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष (1+2):–	₹632691
(ख) दिनांक 31.3.2016 को बैंक में कुल जमा राशि	₹632120
(ग) हस्तगत राशि	₹571
(घ) कुल जमा	**₹632691**

5. रोकड़ वही का निर्माण नियमानुसार न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्या : 1 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जाएंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता–(क) के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह नियम–3 में संहिता संख्या : 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आवंटित निधियां और प्राप्त ऋण हेतु पृथक खाता

खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता–(ख) जाना जाएगा, परन्तु जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए कुल 6 रोकड़ वहियों व अंकेक्षण अवधि में 6 बैंक बचत खातों का ग्राम पंचायत द्वारा रख–रखाव किया गया है, जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ वही का रख–रखाव नियमानुसार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता "क" व "ख" के अनुरूप रोकड़ वही का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5.1 नियमों के विरूद्ध बैंक बचत खातों का खोला जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) के अनुसार पंचायत में केवल दो बैंक बचत खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है, परन्तु पंचायत द्वारा स्व–स्त्रोत व अनुदानों के लिए 6 खाते खोले गए थे, जबकि स्व–स्त्रोत व अनुदानों के लिए अलग–अलग खातों को खोलना अपेक्षित था। अतः नियमानुसार बैंक बचत खातों को न खोलने के लिए उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

5.2 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified abstract) को न तैयार करने बारे :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन–देन के लिए अलग–अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्धेश्य आय–व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई, परन्तु आय–व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार रजिस्टर तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

6. निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखना :–

पंचायत की रोकड़ वहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–2** में दिए गए विवरणानुसार हस्तगत राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जबकि नियमानुसार सचिव द्वारा केवल एक हजार तक की राशि ही हस्तगत रखी जा सकती है, जोकि (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व

आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

7. गृह–कर व अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय के मांग व प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध न करवाने बारे :–

अंकेक्षण के दौरान जांच में स्वः स्त्रोत, गृहकर, इत्यादि से प्राप्त आय से सम्बन्धित मांग व प्राप्ति रजिस्टर अंकेक्षण में आवश्यक जांच में उपलब्ध नहीं करवाया गया, जिसके आभाव में गृहकर व अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय की कुल वसूली की सत्यता व शेष वसूली की जांच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः पंचायत राजस्व से सम्बन्धित उक्त अभिलेख को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. अनुदानों से प्राप्त ₹0.39 लाख अधिक व्यय करने बारे :–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना परिशिष्ट–1 के अनुसार दिनांक 31.3.2016 को अनुदान 3rd state, IAY, MPLAD व SDP के शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹14516, ₹19000, ₹3626 व ₹1815, इन अनुदानों में पर्याप्त राशि न होने के कारण किसी अन्य अनुदानों से व्यय की गई, जोकि अनियमित है। इस अनियमित व्यय को नियमित करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ली जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से उक्त राशियों को वसूल कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

8.1 अनुदान ₹5.17 लाख का उपयोग न करना :–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना परिशिष्ट–1 के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹517349 लाख उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी बंचित होना पड़ा। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 151, दिनांक 17.8.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत भटेहड बूसल को अवगत करवाया गया, परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत भटेहड वसूल द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके

उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यापर्ण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

9. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.89 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹89385 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 152, दिनांक 17.8.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत भटेहड बूसल को अवगत करवाया गया, परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत भटेहड बूसल द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः स्टॉक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10. क्रय की गई ₹0.72 लाख निर्माण व अन्य सामग्री का भण्डारण, का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 72 (1)(ए,बी,सी व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25, 26 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट–4 पर ₹72000 की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है, जोकि एक गम्भीर मामला है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 152, दिनांक 17.8.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत भटेहड बूसल को अवगत करवाया गया, परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत भटेहड बूसल द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। बिना स्टॉक प्रविष्टि के अंकेक्षण द्वारा खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी। बिना स्टॉक प्रविष्टि के क्रय व उपयोग बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जाए।

11. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	अभिलेख/रिकॉर्ड का नाम
1.	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर
2.	बिल रजिस्टर
3.	चैक प्राप्ति वितरण रजिस्टर
4.	स्टॉक सामग्री रजिस्टर
5.	लेखन सामग्री रजिस्टर
6.	यात्रा भत्ता रजिस्टर
7.	उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्डल
8.	सम्पत्ति रजिस्टर
9.	प्राक्कलन तकनीकी मन्जूरी व प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टर
10.	मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर

12. प्रत्यक्ष सत्यापन :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15. विविध अनियमितताएं :–

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही।

14. लघु आपत्ति विवरणिका :– लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है। यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

15. निष्कर्ष :– लेखों के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन (एल0ए0)एच0(पंच)15(2),24/2016 खण्ड–1–5612–5615 दिनांकः 25.10.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत भटेहड बूसल, विकास खण्ड कांगड़ा, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1(ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा, स्थित धर्मशाला जिला कांगड़ा हि0 प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कांगड़ा, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.